



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227299
CG-DL-E-01062021-227299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1967]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 1967]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2120(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के (कोटद्वार बाईपास) किमी. 0.000 से किमी. 6.500 के दो लेन चौड़ीकरण तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के (कोटद्वार बाईपास) किमी. 0.000 से किमी. 6.500 के दो लेन चौड़ीकरण की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार	1 कोटद्वार गांव-सनेह 2 ग्रास्टीनगंज-सनेह

		be Assigned के कि.मी. 0.5 से 6.5 तक				3 रतनपुर-सनेह 4 जीतपुर-सनेह 5 विशनपुर-सनेह
2	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 0 से 0.5 तक	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	नजीबाबाद	1 कौड़िया

[फा. सं. PIU/Meerut/Kotdwar bypass/3a Notification]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O. 2120(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for 2 – laning with paved shoulder of Kotdwar Bypass of NH - 119 from Km. 0.000 to Km. 6.500 in the State of Uttar Pradesh & Uttarakhand

SCHEDULE

Land acquisition for 2 – laning with paved shoulder of Kotdwar Bypass of NH - 119 from Km. 0.000 to Km. 6.500 in the State of Uttar Pradesh & Uttarakhand.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	ADM Pauri Garhwal	0.5KM To 6.5KM	UTTARAKHAND	PAURI GARHWAL	Kotdwar	1 Kotdwar Goan - Saneh 2 Grastinganj - Saneh 3 Ratanpur - Saneh 4 Jeetpur - Saneh 5 Vishanpur - Saneh
2	Special Land Acquisition Officer	0KM To 0.5KM	UTTAR PRADESH	BIJNOR	Najibabad	1 Kouriya

[F. No. PIU/Meerut/Kotdwar bypass/3a Notification]

RAJESH GUPTA, Director